प्रा.पत्र अ.धा. 136 एलआर एक्ट मु.सं. 55/2020 उनवान भगवानसिंह बनाम तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम ताजसर खेजडोलियान तहसील धोद के खाता सं. 115 के खसरा सं. 210 रकबा 2.3000 हेक्टेयर, खसरा सं. 388 रकबा 1.2400 हेक्टेयर, खसरा सं. 510/385 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, खसरा सं. 512/387 रकबा 0.0200 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.7100 हेक्टेयर व ग्राम ताजसर खेजडोलियान तहसील धोद के खाता सं. 125 के खसरा सं. 364 रकबा 3.0100 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र किशनाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम भगवान सिंह पुत्र किशनाराम है। प्रार्थी के ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम भगवान सिंह पुत्र किशना राम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर भगवान सिंह पुत्र किशना राम दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम ताजसर खेजडोलियान की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 में खाता सं. 115 व 125 में भगवानाराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर भगवान सिंह पुत्र किशना राम किये जाने की अनुशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ताजसर खेजडोलियान तहसील धोद के खाता सं. 115 के खसरा सं. 210 रकबा 2.3000 हेक्टेयर, खसरा सं. 388 रकबा 1.2400 हेक्टेयर, खसरा सं. 510/385 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, खसरा सं. 512/387 रकबा 0.0200 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.7100 हेक्टेयर व ग्राम ताजसर खेजडोलियान तहसील धोद के खाता सं. 125 के खसरा सं. 364 रकबा 3.0100 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर भगवान सिंह पुत्र किशना राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदा[illegible] उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी [illegible] तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट [illegible] रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। Signature Not Verified Digitally signed by Mithlesh Kuma Date: 2021.02.26 16:17:26 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	